न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 66/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती तारों देवी पत्नि बगताराम जाट निवासी– केसुम्बला महेचान, तहसील गिडा, जिला बाडमेर।		1. श्रीमती सागर कंवर पुत्र स्व. स्वरूपसिंह पत्नि रामसिंह निवासी– केसुम्बला भाटियान, तहसील गिडा, हाल पनावडा तहसील बायतु जिला बाडमेर। 2. श्रीमती धापू कंवर पुत्री स्व. भोमसिंह पत्नि रामसिंह निवासी– केसुम्बला भाटियान, तहसील गिडा, हाल रावली ढाणी महेशा रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। 3. सवाई सिंह पुत्र इन्द्रसिंह 4. कंवरराज सिह पुत्र इन्द्रसिंह 5. तेजसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 6. हरिसिहं पुत्र इन्द्रसिंह 7. असत कंवर पत्नि इन्द्रसिंह राजपूत निवासी– केसुम्बला भाटियान, तहसील गिडा, जिला बाडमेर। 8. ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान, तहसील गिडा, जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2015 जो राजस्व अपील संख्या 02/2013 अनवान श्रीमती सागरकंवर वगैराह बनाम ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान में उपखण्ड अधिकारी बायतू द्वारा कैम्प कोर्ट केसुम्बला भाटियान में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलार्थीया की ओर से ।
2– श्री ओकारसिंह, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो0 1 ता 2 की ओर से ।
3– अन्य रेस्पोडेन्टस पूर्व से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम जोराणियों की ढाणी तहसील गिडा के ख0सं0 224 रकबा 99 बीघा 06 बिस्वा भूमि उनकी पैतृक भूमि है। रेस्पो0 के पिता सरूपसिंह एवं माता के फौत होने पर ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान द्वारा अपीलान्टगण को सूचित किये बिना व बिना जॉच किये फौतेदगी नामा0 संख्या 42 उनके पिता के सगे भाई इन्द्रसिंह व उनकी माता के पक्ष में विरासत का नामा0 पारित किया है जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील की गई है अतः उनका नाम भी दर्ज किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 42 को निरस्त करते हुए सरूपसिंह के हिस्से वाली भूमि में रेस्पो0 संख्या एक व दो के नाम दर्ज करने का

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दिनांक 06.07.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थीया ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि ग्राम जोराणियों की ढाणी तहसील गिडा के ख0सं0 224 रकबा 99 बीघा 06 बिस्वा भूमि के खातेदार सवाईसिंह, कंवरराजसिंह व असत कंवर थे। उक्त सवाईसिंह वगैराह ने जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के उक्त भूमि में से 34.13 बीघा भूमि को हुकमसिंह पुत्र परबतसिंह को बेचान कर दिया। हुकमसिंह ने भी जरिये बेचान दस्तावेज के अपीलान्ट तारोदेवी को दिनांक 22.6.2012 को करते हुए उसे कब्जा सौप दिया तब से लगातार अपीलार्थीनी काबिज है व खातेदार है। व उसके आधार पर नामा0 संख्या 158 दिनांक 29.7.12 को स्वीकार हो गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि खातेदार सरूपसिंह के देहान्त के 15 वर्ष पश्चात एवं नामा0 संख्या 42 स्वीकृत दिनांक 25.11.1999 के दर्ज होने के 15 वर्ष पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में वर्तमान अपीलार्थीनी को पक्षकार नहीं बनाया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी वर्तमान जमाबन्दी को पत्रावली पर लिये बिना ही एवं अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना ही पूर्व के स्वीकृत विरासत के नामा0 संख्या 42 को दिनांक 6.7.2015 अपीलाधीन आदेश के द्वारा निरस्त करते हुए सरूपसिंह के हिस्से वाली भूमि में रेस्पो0 संख्या एक व दो के नाम दर्ज करने का दिनांक 06.07.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। हुए दिया। जबकि अपीलार्थीनी सद्भाविक खरीददार/खातेदार काश्तकार है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विरासत के नामा0 संख्या 42 स्वीकृति के बाद हस्तान्तरण, बेचान के आधार पर स्वीकृत नामा0 व राजस्व रेकर्ड में दर्ज वर्तमान प्रविष्टियों के तथ्यों को मिलीभगती कर छुपाते हुए रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रथम अपील पेश की गई। अपीलार्थी को हुए बेचान की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व दो को भतीभांति थी कि पंजीबद्ध विक्रय के द्वारा पहला बेचान हुकमसिंह तथा हुकमसिंह से अपीलार्थीया को दूसरा बेचान होकर भूमि का कब्जा सौपते हुए अपीलार्थीया के पक्ष में नामा0 दर्ज कर दिया गया। ऐसे में विरासत के नामा0 की अपील कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं थी। अपीलार्थीया को बेचानकर्ता रेस्पोडेन्टस सवाईसिंह, कंवरराजसिंह, असतकंवर का विवादित रकबा 34.13 बीघा भूमि को शामिल पटटे व हक खातेदारी में से किया गया है। ऐसे में सरूपसिंह के पक्ष में शेष बचे हिस्से में से ही हक की पूर्ति की जा सकती थी।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी जिसे स्वीकार करने का कोई पर्याप्त कारण अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं दर्शाया है। इस आधार पर भी यह अपील स्वीकार होकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोराणियों की ढाणी तहसील गिडा के ख0सं0 224 रकबा 99 बीघा 06 बिस्वा भूमि उनके पूर्वजों की पैतृक भूमि है। रेस्पो0 के पिता सरूपसिंह एवं माता के फौत होने पर ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान द्वारा अपीलान्टगण को सूचित किये बिना व बिना जॉच किये फौतेदगी नामा0 संख्या 42 में उनके पिता के सगे भाई इन्द्रसिंह, उनकी माता के पक्ष में नामा0 पारित किया है अतः उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 42 को निरस्त करते हुए उनके पिता स्व. सरूपसिंह के हिस्से वाली भूमि में रेस्पो0 संख्या एक व दो के नाम भी दर्ज करने का दिनांक 06.07.2015 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि अनुकूल उचित है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके पिता सरूप सिंह के देहान्त उपरान्त विरासत का नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व उनके सभी वारिसान को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का ग्राम पंचायत को अवसर दिया जाना चाहिये था। उनके पिता निर्वसियत ही खत्म हुए थे ऐसे में उनका हक–हिस्सा भी उक्त भूमि में होना चाहिये था। उक्त स्वीकृत नामा0 की जानकारी रेस्पो0 संख्या एक व दो को पटवारी हल्का से उक्त भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु सम्पर्क किये जाने पर उनके द्वारा बताये जाने पर हुई तब उनके द्वारा नामा0 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रथम अपील की कार्यवाही की गई। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 संख्या 42 अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्ध होने से उसे चुनौती दिये जाने बाबत कोई म्याद बाधित नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए उनकी प्रथम अपील को स्वीकार किया है जो उचित है।

रेस्पो0 संख्या 1 ता 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थीया के द्वारा अपनी अपील में यह कथन किया जाना कि उनके द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान के भूमि क्रय की गई है एवं वर्तमान में सद्भाविक खातेदार/काश्तकार है, तो इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि उनके द्वारा इन्द्रसिंह के उत्तराधिकारियों असतकंवर, सवाईसिंह, कंवरराजसिंह से जो भूमि क्रय की गई है वो उक्त खसरान भूमि मे उसके हक–हिस्से तक आई हुई भूमि तक का ही बेचान करने में सक्षम थे, उससे अधिक का किया गया बेचान प्रभावहीन व शून्य की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा प्रथम अपील में अपने पूर्वजों यानि अपने पिता के हिस्से में आ रही पैतृक भूमि में से ही अपना हक–हिस्सा प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया है और इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट कसुम्बला भाटियान में मौजूद सभी मौजीज व्यक्तियों से पूछताछ करने पर एक राय होकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को सरूपसिंह की संतान बताया उसके पश्चात प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 42 को निरस्त करते हुए उनका नाम भी विरासत के नामा0 में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो

बहाल रखा जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए उसके विरूद्ध अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात पेश की गई है, जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की जिसे अन्दर म्याद माने जाने बाबत कोई ठोस कारण भी नहीं दर्शाये, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अन्दर म्याद स्वीकार किये जाने बाबत अपने आदेश में किसी भी प्रकार से कोई उचित कारण नहीं दर्शाया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रथम अपील अन्दर म्याद है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों के द्वारा अपने निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये है।

धारा 5 परिसीमा अधिनियम मे विहित प्रावधान इस प्रकार है–

> कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)के आदेश 21 के उपबंधो मे से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।
>
> वर्तमान अपील मे भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

> The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में वर्तमान अपीलार्थीया को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अपीलार्थीया भी उक्त भूमि में जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज रहीं है। साथ ही अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 42 के दर्ज/स्वीकृत होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि में से अलग–अलग समय में अलग–अलग व्यक्तियों को बेचान हुए और जरिये नामान्तरकरण उनके नाम राजस्व रेकर्ड में रेकर्डेड खातेदार के रूप में दर्ज हुए है। ऐसे में भी अपीलाधीन नामा0 संख्या 42 को निरस्त करने से उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर दर्ज खातेदारों/खरीददारों के हक–हिस्से प्रभावित हुए है, इस सम्बन्ध में भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार का विश्लेषण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया है।

अपीलार्थीया के पक्ष में भूमि का बेचान हो जाने एवं प्रथम अपील के निस्तारण पश्चात वर्तमान पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आपसी राजीनामा भी दिनांक 16.09.2019 को होना प्रकट है जो न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। ऐसे में उपरोक्त सभी तथ्यों, दस्तावेजों इत्यादि के आधार हमारी विनम्र राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में पुनः सुनवाई, राजस्व रेकर्ड/बेचान दस्तावेज के परीक्षण उपरान्त विधिवत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीया की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बायतू को उपरोक्त आब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने, सुनवाई का अवसर दिये जाने, वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी को रेकर्ड पर लिये जाने, राजीनामा इत्यादि दस्तावेजों का विश्लेषण किये जाने के उपरान्त पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर